

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2020—वैशाख 28, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

अधिसूचना
संख्या 38/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(69).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, 21 अप्रैल 2020 से, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है। ” ।
- उक्त नियम के नियम 67 के पश्चात, इसे बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध - इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर अवधि की ‘शून्य’ विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित ‘वन टाइम पासवर्ड’ की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य'विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ब की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रवृष्टि ना हो ।" ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(69).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(69), दिनांक 08-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th May 2020

NOTIFICATION
No. 38/2020- State Tax

No. F 10-56/2020/CT/V(69).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of issue of this notification.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 21st April, 2020, in rule 26 in sub-rule (1), after the proviso, following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GSTR-3B verified through electronic verification code (EVC).”.

3. In the said rules, after rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely: -

“67A.Manner of furnishing of return by short messaging service facility.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in FORM GSTR-3B.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

अधिसूचना

संख्या 39/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(70).— सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(35) दिनांक 31 मार्च, 2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

- (i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है।”

- (ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2. रजिस्ट्रीकरण - ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात का हो, नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(70).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(70), दिनांक 08-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th May 2020

NOTIFICATION
No. 39/2020- State Tax

No. F 10-56/2020/CT/V(70).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 11/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(35) dated the 31st March, 2020, namely:-

In the said notification

- (i) in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the said class of persons shall not include those corporate debtors who have furnished the statements under section 37 and the returns under section 39 of the said Act for all the tax periods prior to the appointment of IRP/RP.”;

- (ii) for the paragraph 2, with effect from the 21st March, 2020, the following paragraph shall be substituted, namely: -

“2. Registration.- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP or by 30th June, 2020, whichever is later..”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

अधिसूचना
संख्या 41/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(71).— आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 15/2020- राज्य कर, क्रमांक-10-35/2020/वाक/पांच(39) तारीख 31 मार्च, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(71).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2020/वाक/पांच(71), दिनांक 08-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th May 2020

NOTIFICATION
No. 41/2020- State Tax

No. F 10-56/2020/CT/V(71).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), and in supersession of Chhattisgarh Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 15/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(39) dated the 31st March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till the 30th September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.